न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–154 / 19 दायर दिनांक:– 02.12.2019

1. करनसिंह पुत्र श्री कंचन जाति माली निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2. मूली पुत्र श्री कंचन जाति माली निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
3. खिल्ली पुत्र श्री कंचन जाति माली निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
4. बुद्धो पत्नि डल्ली जाति माली निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय भुसावरा जिला भरतपुर (राज0)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थित 1श्री प्रकाश चन्द्र ....प्रार्थीगण अधिवक्ता
2 पेरोकार सरकार तहसीलदार भुसावर

निर्णय–दिनांक 19.09.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया गया था। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। आराजी खसरा न0 861 जिसके नये खसरा न. 1069, ,1070 वाके ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर में स्थित है। आराजी खसरा न. 861 पुराने न. को सैटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा न. 1069, 1070 नवीन खसरा नम्बर बनाए गए है जो की मौके के बिल्कुल विपरीत तैयार किए गए है। तथा खसरा न. 861 के पूर्व नक्शा ट्रैस से भिन्न है। सैटलमेन्ट विभाग भरतपुर द्वारा खसरा न. 861 के स्थान पर खसरा न. 1069 के नवीन नक्सा ट्रैस में तरफ पश्चिम में रास्तेनुमा लाईन गलत तरीके से चित्रण किया गया है तथा पूर्व नक्सा ट्रैस में कोई भी तरफ पश्चिम की ओर कोई भी रास्तेनुमा लाईन को नहीं दर्शाया हुआ है, लेकिन दोनों नक्सा ट्रैस में अलग–अलग दर्शाये गए है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा न. 1069 को नक्सा ट्रैस में चित्रण करते वक्त प्रार्थीगण को कोई भी विधिवत सूचित नहीं किया गया और न ही कोई भी सुनवाई ही की गई तथा अपनी मनमानी करते हुए नक्सा ट्रैस में गलत चित्रण किया गया है, इसलिए नक्सा ट्रैस में तरफ पश्चिम में खसरा न. 1069 में रास्तेनुमा लाईन को दुरुस्त कराया जाकर हटाये जाने बाबत् प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तल्बी जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा जारी की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार भुसावर द्वारा अपनी रिपोर्ट कार्यालय हाजा में दिनांक 9.11.20 को प्रेषित की गई।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्याः—154 / 19 दायर दिनांकः— 02.12.2019

1. करनसिंह पुत्र श्री कंचन जाति माली निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2. मूली पुत्र श्री कंचन जाति माली निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
3. खिल्ली पुत्र श्री कंचन जाति माली निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
4. बुद्धो पत्नि डल्ली जाति माली निवासी ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय भुसावरा जिला भरतपुर (राज0)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थित —1श्री प्रकाश चन्द्र ....प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार भुसावर

निर्णय—दिनांक 19.09.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया गया था। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। आराजी खसरा न0 861 जिसके नये खसरा न. 1069, ,1070 वाके ग्राम नैवाडा तहसील भुसावर में स्थित है। आराजी खसरा न. 861 पुराने न. को सैटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा न. 1069, 1070 नवीन खसरा नम्बर बनाए गए है जो की मौके के बिल्कुल विपरीत तैयार किए गए है। तथा खसरा न. 861 के पूर्व नक्शा ट्रैस से भिन्न है। सैटलमेन्ट विभाग भरतपुर द्वारा खसरा न. 861 के स्थान पर खसरा न. 1069 के नवीन नक्सा ट्रैस में तरफ पश्चिम में रास्तेनुमा लाईन गलत तरीके से चित्रण किया गया है तथा पूर्व नक्सा ट्रैस में कोई भी तरफ पश्चिम की ओर कोई भी रास्तेनुमा लाईन को नहीं दर्शाया हुआ है, लेकिन दोनों नक्सा ट्रैस में अलग—अलग दर्शाये गए है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा न. 1069 को नक्सा ट्रैस में चित्रण करते वक्त प्रार्थीगण को कोई भी विधिवत सूचित नहीं किया गया और न ही कोई भी सुनवाई ही की गई तथा अपनी मनमानी करते हुए नक्सा ट्रैस में गलत चित्रण किया गया है, इसलिए नक्सा ट्रैस में तरफ पश्चिम में खसरा न. 1069 में रास्तेनुमा लाईन को दुरुस्त कराया जाकर हटाये जाने बाबत् प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तल्बी जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा जारी की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार भुसावर द्वारा अपनी रिपोर्ट कार्यालय हाजा में दिनांक 9.11.20 को प्रेषित की गई।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)